

उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
आठवाँ तल शक्ति भवन मुख्यालय
अशोक मार्ग, लखनऊ- 226001



U.P. Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd.
(U.P. Govt. Undertaking)
8th Floor Shakti Bhawan Lucknow
Ashok Marg, Lucknow- 226001

पत्रांक / मु०म०प्र०(वित्त)/

दिनांक 31/07/2017

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी
उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०

विषय:- जी०एस०टी० से सम्बन्धित दिशा-निर्देश

जैसा कि विदित है दिनांक 01.07.2017 से जी०एस०टी० लागू हो गया है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशानिर्देश अनुपालन हेतु जारी किये जाते हैं :-

1- जी०एस०टी० रजिस्ट्रेशन : उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० का मुख्यालय स्तर पर जी०एस०टी० नं० प्राप्त कर लिया गया है जो इस प्रकार है : **09AAACU4749D2Z9**। मुख्यालय स्तर पर प्राप्त किये गये जी०एस०टी० रजिस्ट्रेशन का उपयोग इकाईयों/खण्डों द्वारा किया जाना है। इकाई स्तर से जी०एस०टी० से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाना है। यदि किसी इकाई द्वारा जी०एस०टी० में कोई भी अन्य रजिस्ट्रेशन करा लिया गया है तो उसे तत्काल निरस्त कराते हुए जी०एस०टी० सैल को सूचित करें और उसको निरस्त कराने की प्रक्रिया आरम्भ करें।

जी०एस०टी० के दायरे में आने वाले संव्यवहार :

(1)- विद्युत का क्रय/विक्रय (Power Purchase/Sale) : विद्युत का उत्पादन/ क्रय-विक्रय जी०एस०टी० में पूर्णतया कर-मुक्त (Exempted) है।

(2)- टेण्डर फार्म की बिक्री, स्क्रेप की बिक्री एवं निगम द्वारा अन्य पक्षों को दी जाने वाली सेवाएं :

टेण्डर फार्म की बिक्री पर वर्तमान में 18% जी०एस०टी० लिया जाएगा। निविदा प्रपत्र की बिक्री केवल जी०एस०टी० में रजिस्टर्ड फर्मों को ही किया जाना है। इसी प्रकार स्क्रेप की बिक्री एवं निगम द्वारा अन्य पक्षों को दी जाने वाली सेवाओं पर वर्तमान में 18% जी०एस०टी० लिया जायेगा। ज्ञात हो कि उ० प्र० में बिक्री/सेवाओं पर वसूले गये जी०एस०टी० में CGST(50%) एवं SGST (50%) की देयता होगी एवं उ० प्र० के बाहर बिक्री/सेवाओं पर IGST(100%) की देयता होगी।

(1)- वाह्य एजेन्सियों से क्रय की जाने वाली सामग्री/प्राप्त की जाने वाली सेवाएं : समस्त संव्यवहार केवल जी०एस०टी० में रजिस्टर्ड फर्मों से ही किया जाना चाहिए। वाह्य एजेन्सियों से क्रय की जाने वाली सामग्री एवं प्राप्त की जाने वाली सेवाएं निविदा के माध्यम से Exclusive of GST दर प्राप्त की जानी चाहिए।

(2)- स्थायी एवं अस्थायी अग्रदाय (PI/TI) : समस्त आहरण-वितरण अधिकारी PI/TI Holders को दिशानिर्देश जारी करेंगे तथा समस्त प्रकार के टी०ए०/टी०आइ०/पी०आइ० से सम्बन्धित वाउचर जी०एस०टी० एक्ट में निर्धारित इन्वाइस के अनुसार ही स्वीकार करेंगे। ऐसी स्थिति में यदि जी०एस०टी० की देयता होगी तो उसका भुगतान बिल के साथ ही हो जायेगा, अन्यथा की स्थिति में जी०एस०टी० की देयता निगम की होगी।

CPM. Bagati
Sample
9/8/17

(3)- **Payment Voucher** : जी0एस0टी0 के RCM के अन्तर्गत किये गये भुगतानों (जिसमें अग्रिम भुगतान भी शामिल है) के लिए Payment Voucher बनाया जायेगा। Payment Voucher का प्रारूप Annexure-C में संलग्न है।

इकाईयाँ यह सुनिश्चित करेंगी कि जारी किये जाने वाले Tax Invoice/Bill of Supply एवं Payment Voucher निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार क्रमांकित होंगे:-

- Tax Invoice- TI / (Location Code of Unit) / (Financial Year) / (Invoice Number)
- Bill of Supply- BS / (Location Code of Unit) / (Financial Year) / (Bill of Supply Number)
- Payment Voucher- PV / (Location Code of Unit) / (Financial Year) / (Payment Voucher Number)
- Serial number in case of payment voucher will be on the basis of same coding as under heading of Invoice.

Inter-Company Transactions: उत्पादन निगम लि0 की विभिन्न कम्पनियों (JVUNL, MEZA etc.) के मध्य होने वाले Inter-Company Transactions अब जी0एस0टी0 के दायरे में आएंगे। यदि एक कम्पनी दूसरी कम्पनी के लिए कोई कार्य करती है अथवा उसे कोई सामग्री भेजती है तो प्रदाता कम्पनी को प्राप्तकर्ता कम्पनी पर जी0एस0टी0 चार्ज करते हुए टैक्स इनवॉइस जारी करनी होगी। अतः यदि कोई भी Inter-Company Transactions किए जाते हैं तो उन ट्रान्जैक्शन पर लागू दर से प्रदाता कम्पनी द्वारा जी0एस0टी0 की देयता होगी। ज्ञात हो कि प्रदाता कम्पनी द्वारा चार्ज किया गया जी0एस0टी0 प्राप्तकर्ता कम्पनी के लिए इन्पुट टैक्स क्रेडिट बन जाएगा।

Rates of GST : जी0एस0टी0 के अन्तर्गत मुख्यतः 5 प्रकार की दरें निर्धारित की गयी हैं **0%, 5%, 12%, 18%** एवं **28%**। सभी इकाईयों के आहरण-वितरण अधिकारी अपने स्तर पर प्राप्त होने वाले बीजकों में यह सुनिश्चित करेंगे कि उन पर उचित दर से जी0एस0टी0 लगाया गया हो। GST Rates की जानकारी निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है जहाँ से इसे सत्यापित/प्राप्त किया जा सकता है :

वस्तुओं हेतु:- <http://www.cbec.gov.in/resources//htdocs-cbec/gst/goods-rates-booklet-03July2017.pdf>

सेवाओं हेतु:- <http://www.cbec.gov.in/resources//htdocs-cbec/gst/services-booklet-03July2017.pdf>

कर का भुगतान : इकाईयों द्वारा क्रय-विक्रय (यथा टेण्डर फार्म एवं स्कैप की बिक्री, इन्टर कम्पनी ट्रान्जैक्शन एवं निगम द्वारा अन्य को दी गयी कर-योग्य सेवाओं इत्यादि) पर वसूला गया जी0एस0टी0 (टैक्स) एवं Reverse Charge में देय जी0एस0टी0 का भुगतान आहरण-वितरण अधिकारियों द्वारा निगम के जी0एस0टी0आई0एन0 पर प्रतिमाह सरकार के खाते में Net banking/RTGS/NEFT के माध्यम से निर्धारित तिथि तक जमा कराना होगा। भुगतान के पश्चात चालान की एक प्रतिलिपि मुख्यालय स्थित जी0एस0टी0 सैल को प्रेषित की जाएगी।

GST Return : जी0एस0टी0 से सम्बन्धित मासिक/वार्षिक रिटर्न मुख्यालय स्थित जी0एस0टी0 सैल द्वारा निम्नलिखित अनुसार फाइल किये जायेंगे :

- Due date of furnishing earlier three months return are released by the GST council, Due date for first three months is attached hereunder:-

फॉर्म सं०	विवरण	अन्तिम तिथि
GSTR-1	बिक्री एवं दी जाने वाली सेवाओं का विवरण (Particulars of Outward Supply)	अगले माह की 10 तारीख तक
GSTR-2	क्रय एवं ली जाने वाली सेवाओं का विवरण (Particulars of Inward Supply)	अगले माह की 15 तारीख तक
GSTR-3	मासिक रिटर्न (Monthly Return)	अगले माह की 20 तारीख तक
GSTR-9	वार्षिक रिटर्न (Annual Return)	अगले वित्तीय वर्ष की 31 दिसम्बर तक

उपरोक्त रिटर्न फाइल करने के लिए प्रत्येक माह के अन्त में इकाई स्तर से **Inward/Outward Invoices** का सम्पूर्ण विवरण निर्धारित प्रारूप में अगले माह की 3 तारीख तक अनिवार्यतः मुख्यालय के जी०एस०टी० सैल में प्रेषित किया जायेगा। निर्धारित प्रारूप कुछ समय पश्चात मुख्यालय द्वारा निर्गत किये जाएंगे।

वर्तमान में सरकार ने नई टैक्स प्रणाली की जटिलताओं के दृष्टिगत दो महीने (जुलाई एवं अगस्त 2017) के लिए उक्त रिटर्न बाद में भरने की सुविधा प्रदान की है एवं उक्त 3 रिटर्न के स्थान पर एक अस्थायी रिटर्न भरना होगा। इस रिटर्न में निगम की महीने भर की क्रय-विक्रय आदि का विवरण संक्षेप में Form GSTR-3B में अगले माह की 20 तारीख तक जमा कराना है।

अतः इकाईयों को निर्देशित किया जाता है कि Form GSTR-3B भरने हेतु निर्धारित सूचनाएँ जो कि **Annexure-D** में संलग्न हैं, मुख्यालय स्थित जी०एस०टी० सैल में अगले माह की 10 तारीख तक प्रेषित करेंगे।

ध्यान रहे Form GSTR-3B की व्यवस्था अस्थायी व्यवस्था है जिसमें केवल जुलाई 2017 एवं अगस्त 2017 के माह में की गयी क्रय-विक्रय का संक्षेप में ब्यौरा देना है। जुलाई 2017 एवं अगस्त 2017 माह के सम्पूर्ण रिटर्न (Form GSTR-1, Form GSTR-2, Form GSTR-3) September माह में भरे जायेंगे। जिसकी अन्तिम तिथि नीचे दी गयी तालिका में है।

➤ The copy from 3B is attached. Kindly refer Annexure D for the same. Detail to be furnished by the branches to the HQ in the format as specified in form 3B

GST Return	July		Last Date to submit information by units to HQ
	Last date of Filing	Last date of Filing	
	Earlier	Now	
GSTR-1	10 th August	5 th September	20 th August
GSTR-2	15 th August	10 th September	
GSTR-3	20 th August	15 th September	
GSTR-3B	NA	20 th August	10 th August
GST Return	August		
	Earlier	Now	
	GSTR-1	10 th September	
GSTR-2	15 th September	25 th September	
GSTR-3	20 th September	30 th September	
GSTR-3B	NA	20 th September	10 th September
GST Return	September		

	Earlier	Now	
GSTR-1	10 th October	10 th October	3 rd October
GSTR-2	15 th October	15 th October	
GSTR-3	20 th October	20 th October	
GSTR-3B	NA	NA	NA

नियमित मासिक रिटर्न (Form GSTR-1, Form GSTR-2, Form GSTR-3) भरने के लिये इकाईयों द्वारा विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने हेतु प्रारूप वेबसाइट पर Excel Format में जल्द ही उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

Invoice/Debit Note/Credit Note :-

जी0एस0टी0 नियमों के अनुसार कर-योग्य वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री पर Tax Invoice एवं कर-मुक्त वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री पर Bill of Supply खण्ड/इकाई के स्तर से जारी किया जाना है। Tax Invoice एवं Bill of Supply के प्रारूप Annexure-A में संलग्न है।

आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनको प्राप्त होने वाले समस्त बीजकों में सरकार द्वारा Tax Invoice के लिए निर्धारित सभी बिन्दु होने चाहिए। Tax Invoice में जो बिन्दु अनिवार्य हैं उनकी सूची Annexure-B में संलग्न है।

‘As per invoice Rules, Serial number should be a consecutive serial number in one or multiple series, Hence a plan should be initiated from the Head office to provide a coding of all the branches to ensure serial number of invoices to be consecutively to number and to avoid usage of same serial number at multiple invoice. Kindly follow the plan for the same provided by Head Office and ensure only one serial number of invoice in use.’ The coding will be mentioned hereunder:- Example.

Headquarter (Lucknow): HQ

TPS Anpara (A): AA

TPS Anpara (B): AB

TPS Anpara (D):AD

TPS Obra(A) :OA

TPS Obra(B) :OB

TPS Obra(C): OC

TPS Panki: PP

TPS Parichha 2X110: PA

TPS Parichha 2X210: PB

TPS Parichha 2X250: PC

Harduaganj (C) : HC

Harduaganj (D) : HD

Invoice एवं Bill of Supply से सम्बन्धित दिशा-निर्देशों के अतिरिक्त निम्नलिखित बिन्दुओं का भी अनुपालन करना है –

a) Invoice जारी करने की समय-सीमा :-

- वस्तुओं के विक्रय पर :- माल के हटाने पर या उससे पहले (Before or at the time of removal of goods)
- सेवाओं के प्रदान पर :- सेवा समाप्ति के 30 दिन के अन्दर

- b) वस्तुओं के विक्रय पर Invoice तीन प्रतिलिपि में जारी करना है :-
- Original प्रतिलिपि क्रेता के लिए
 - Duplicate प्रतिलिपि माल वाहक (ट्रान्सपोर्टर) के लिए
 - Triplicate प्रतिलिपि स्वयं के लिए (Office Copy)
- c) सेवाओं के विक्रय पर Invoice दो प्रतिलिपि में जारी करना है :-
- Original प्रतिलिपि क्रेता के लिए
 - Duplicate प्रतिलिपि स्वयं के लिए (Office Copy)
- d) CGST Act के Section 33 के अनुसार Tax Invoice जारी करते समय Tax की राशि को पृथक करके दर्शाना आवश्यक है। अर्थात् कोई भी Invoice Inclusive of Tax नहीं बनाना है।
- e) ज्ञात हो कि एक बार Tax Invoice जारी होने के पश्चात् उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए विक्रेता/सेवा प्रदाता को Credit Note अथवा Debit Note जारी करना होगा।
- f) **Credit Note :-**
- ऐसी परिस्थितियां जहां वस्तु एवं सेवा की राशि अथवा Tax की राशि में कटौती होनी है, उन परिस्थितियों में विक्रेता/सेवा प्रदाता द्वारा क्रेडिट नोट क्रेता/सेवा प्राप्तकर्ता को जारी किया जायेगा।
 - उदाहरण के तौर पर विक्रेता द्वारा कम अथवा गलत माल भेजना, क्रेता द्वारा माल का वापस कर देना इत्यादि।
 - क्रेडिट नोट जारी करने की समय-सीमा-
 - जिस वित्तीय वर्ष में Supply की गयी हो उसके अगले वित्तीय वर्ष की 30 सितम्बर या
 - वार्षिक रिटर्न भरने की तिथि
 में से जो पहले हो, तब तक क्रेडिट नोट जारी किया जा सकता है।
 - क्रेडिट नोट जिस माह में जारी किया गया है, उस माह के मासिक रिटर्न में क्रेडिट नोट का ब्योरा देना है।
- g) **Debit Note :-**
- ऐसी परिस्थितियां जहां वस्तु एवं सेवा की राशि अथवा Tax की राशि में बढ़ोत्तरी होनी है, उन परिस्थितियों में विक्रेता/सेवा प्रदाता द्वारा डेबिट नोट क्रेता/सेवा प्राप्तकर्ता को जारी किया जायेगा।
 - डेबिट नोट जारी करने की कोई समय-सीमा नहीं है।
 - डेबिट नोट जिस माह में जारी किया गया है, उस माह के मासिक रिटर्न में डेबिट नोट का ब्योरा देना है।
 - अगर विक्रेता द्वारा क्रेता से देरी से भुगतान करने के कारण किसी प्रकार की Interest, Penalty अथवा Late Fees ली जाती है तो उस Interest, Penalty एवं Late Fees को कर-योग्य राशि में जोड़ा जायेगा एवं उस पर जी0एस0टी0 लागू एवं देय होगा। ऐसी दशा में विक्रेता द्वारा क्रेता को डेबिट नोट जारी किया जायेगा।

क्रेडिट नोट एवं डेबिट नोट के प्रारूप Annexure B.1 & B.2 में संलग्न है।

Time of Supply :-

CGST Act के Section 12 & 13 में Time of Supply के नियम दिये गये हैं, जिससे ये निर्धारित किया जा सकता है कि किसी Supply के सन्दर्भ में Tax किस माह में जमा करना है एवं किस माह के रिटर्न में उस Supply को दर्शाना है। Time of Supply के नियम संक्षेप में इस प्रकार हैं :-

Nature of Transaction	Event A	Event B	Event C	Time of Supply
Supply of Goods	Issue of tax invoice	Receipt of payment (even advance payment received)		Whichever is earlier
Tax on receipt of goods payable on reverse charge basis	Receipt of goods	Date of payment to recipient (even advance payment made)	30 days from date of invoice of supplier	Whichever is earlier
Supply of service	Invoice if issued within prescribed time (30 days)	Provision of service if Invoice not issued within prescribed time	Date of receipt of payment from recipient (even advance payment received)	Whichever is earlier
Tax on receipt of service payable under reverse charge	Date of payment to supplier of service	60 days from date of invoice of supplier		Whichever is earlier
Receipt of Interest, late fee or penalty for late payment [common provision for goods and services]	Issue of demand or debit note to recipient of goods or services	Receipt of payment from recipient of goods or services		Receipt of payment from recipient of goods or services

1. Receipt Voucher & Refund Voucher :-

जैसा कि उक्त "Time of Supply" नियमों में वर्णित है कि किसी वस्तु एवं सेवा की बिक्री के सन्दर्भ में ली जाने वाली अग्रिम राशि भी जी०एस०टी० के दायरे में आती है। अगर विक्रेता द्वारा कर-योग्य अथवा सेवा के विरुद्ध किसी भी प्रकार का अग्रिम लिया जाता है, उस परिस्थिति में विक्रेता को "Receipt Voucher" जारी करना होगा।

अग्रिम लेने के पश्चात् अगर विक्रेता द्वारा कर-योग्य माल एवं सेवा Supply नहीं की जाती है एवं Tax Invoice जारी नहीं किया जाता उस दशा में विक्रेता को "Refund Voucher" क्रेता को जारी करना होगा।

इकाईया सुनिश्चित करेंगे कि जारी किया जाने वाला Receipt Voucher & Refund Voucher क्रमवार क्रमांकित हो। Receipt Voucher & Refund Voucher का प्रारूप Annexure C.1 एवं C.2 में संलग्न है।

Reverse Charge Mechanism (RCM) :- Reverse Charge Mechanism (RCM) : ज्ञात हो कि जी0एस0टी0 के अन्तर्गत मुख्यतः तीन बिन्दुओं पर Reverse Charge Mechanism के अन्तर्गत जी0एस0टी0 की देयता निगम की होगी :

- 1- वकीलों को किया जाने वाला भुगतान
- 2- Goods Transport Agency को होने वाला भुगतान
- 3- अपंजीकृत विक्रेता/सेवा प्रदाता को होने वाले भुगतान

अतः जी0एस0टी0 के अन्तर्गत Work Contracts, Manpower Supply/Security Services, Cab सेवा इत्यादि पर RCM का प्रावधान लागू नहीं होगा।

निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का भी अनुपालन करना है :-

- सरकार एवं Local Authorities को भुगतान :-

जी0एस0टी0 के Notification No. 13/2017-CT(Rate) दिनांक 28.01.2017 के अनुसार सरकार एवं Local Authorities द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं पर RCM के तहत कर जमा करने एवं रिटर्न दाखिल करने का दायित्व सेवा प्राप्तकर्ता पर होगा।

ज्ञात हो कि RCM केवल सेवा के भुगतान पर लागू है। अर्थात सरकार एवं Local Authorities को किसी भी प्रकार का भुगतान Tax, Cess & Levy के रूप में दिया जाता है, तो जी0एस0टी0 लागू नहीं होगा।

- RCM में किये भुगतानों के लिये दो प्रकार के Documents बनेंगे :-

(1) Purchase Voucher (2) Payment Voucher

Purchase Voucher एवं Payment Voucher के प्रारूप Annexure D.1 एवं D.2

में संलग्न है।

2. **Input Tax Credit (ITC) :-**

CGST Act 2017 की धारा 16 के अनुसार किसी भी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा की गई कर-योग्य खरीदारियों/सेवाओं (Taxable Input Supply) पर भुगतान किया गया जी0एस0टी0 इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में उपलब्ध होगा। Reverse Charge Mechanism के अन्तर्गत भुगतान किया गया जी0एस0टी0 एवं वस्तुओं/सेवाओं के आयात (Import of Goods and Services) पर भुगतान किया गया आई0जी0एस0टी0 भी इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में उपलब्ध होगा।

इस इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) को कर-योग्य वाह्य आपूर्ति (Taxable Outward Supply) पर कर-देयता के विरुद्ध सैट-ऑफ किया जा सकेगा।

उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट निम्नलिखित 04 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगा:-

a) **Credit directly attributable towards exempt supplies :-**

चूंकि निगम का मुख्य कार्य (बिजली- उत्पादन) जी0एस0टी0 से कर-मुक्त है इसीलिए वे खरीदारियों/सेवाएं जो विशेषकर बिजली उत्पादन, पारेषण, एवं वितरण से सम्बन्धित है, उन खरीदारियों/सेवाओं पर भुगतान किया गया जी0एस0टी0 आई0टी0सी0 के रूप में उपलब्ध नहीं होगा।

b) **Credit directly attributable towards taxable supplies :-**

निगम द्वारा की गयी खरीदारियों/सेवाएं जो कि विशेषकर कर-योग्य वाह्य आपूर्ति (Taxable Outward Supply) से सम्बन्धित है, उन खरीदारियों/सेवाओं पर भुगतान किया गया जी0एस0टी0 आई0टी0सी0 (ITC) के रूप में उपलब्ध होगा एवं कर-योग्य वाह्य आपूर्ति पर देय जी0एस0टी0 के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है।

c) Common Credit :-

ऐसी खरीदारियाँ/सेवाएँ जो कि कर-योग्य एवं कर-मुक्त वाह्य आपूर्ति दोनों के लिए सामान्य है, (जैसे-स्टेशनरी, ऑडिटर फीस, टेलीफोन व्यय इत्यादि) उन खरीदारियों/सेवाओं पर भुगतान किया गया जी0एस0टी0 कॉमन क्रेडिट की श्रेणी में आता है एवं इसका आई0टी0सी0 कर-योग्य कुल बिक्री के अनुपात में उपलब्ध होगा।

d) Ineligible ITC :-

CGST Act 2017 की धारा 17 के अनुसार निम्नलिखित वस्तुओं/सेवाओं की खरीदारियों पर भुगतान किया गया जी0एस0टी0 आई0टी0सी0 के रूप किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं होगा-

- मोटर गाड़ी एवं अन्य वाहनों के क्रय पर
- खाद्य एवं पेय, वाह्य केटरिंग (खानपान), स्वास्थ्य सेवाओं पर
- किराए पर कैब (टैक्सी) सेवा पर
- कर्मचारियों के लिए जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर
- अवकाश पर गए कर्मचारियों के यात्रा लाभ पर, जैसे अवकाश या घरेलू यात्रा रियायत पर (LTC)
- किसी अचल सम्पत्ति (Plant & Machinery को छोड़कर) के निर्माण के लिए की गयी खरीदारियों/सेवाओं/वर्क कान्ट्रैक्ट सेवाओं पर

इकाईयाँ उपरोक्त सभी नियमों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे एवं GSTR-2 के लिए Excel प्रारूप भरते समय सूचित करेंगे कि प्रत्येक खरीदारी/सेवाएँ उपरोक्त में से किस श्रेणी में आती है।

जी0एस0टी0 के पूर्व की तिथि के बीजक :- 30.06.2017 की तिथि तक के सभी बीजकों का भुगतान पुराने वैट (VAT), सर्विस टैक्स (Service Tax), इत्यादि के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाएगा। साथ ही 30.06.2017 तक प्राप्त वस्तुओं एवं सेवाओं के जो बीजक जी0एस0टी0 लागू होने के 30 दिन के अन्दर (30.07.2017 तक) प्राप्त होते हैं, उनका भुगतान भी उपरोक्त कानूनों के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाएगा। जो भी बीजक 01.07.2017 अथवा उसके पश्चात प्राप्त सामग्री अथवा सेवा से सम्बन्धित होंगे, उनका भुगतान जी0एस0टी0 के कानून के अन्तर्गत किया जाएगा।

पुराने अथवा नये बीजक, जिनका भुगतान 01.07.2017 को या उसके पश्चात होगा, उन पर WCT नहीं काटना है। पुराने बीजक जिसमें सर्विस टैक्स नियमों के Reverse Charge Mechanism के अनुसार टैक्स जमा करने का दायित्व निगम का है, उन बीजकों को इस माह के अन्त तक Account for कर दिये जायें एवं कर की राशि सरकार के खाते में जमा कर रिटर्न फाइल कर दिये जायें।

Anti profiteering clause : CGST अधिनियम 2017 की धारा 171 के अनुसार जी0एस0टी0 लागू होने के पश्चात कर की दरों में आई कमी का लाभ विक्रेता द्वारा क्रेता को मूल्यों में कटौती के रूप में दिया जाना है। अतः खण्ड/इकाई सुनिश्चित करेंगी कि पूर्व में निर्गत निविदाएं (जिनकी अवधि 01.07.2017 के पश्चात पूरी होगी) एवं नयी निविदाओं में निम्नलिखित Anti profiteering clause जोड़ा जाना चाहिए :

“As per section 171 of CGST Act 2017, Any reduction in rate of tax on any supply of goods or services or the benefit of input tax credit shall be passed on to the recipient by way of commensurate reduction in prices. Hence supplier/manufacturer to ensure to pass the benefit of reduced prices to UPRVUNL. Further price quoted by supplier/manufacturer is subject to scrutiny under above section.”

जी0एस0टी0-टी0डी0एस0 : जी0एस0टी0 अधिनियम के अन्तर्गत जी0एस0टी0 टी0डी0एस0 के प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। अतः इकाईयों/खण्डों द्वारा 01.07.2017 से कराये जाने वाले कार्यों के भुगतान पर फिलहाल जी0एस0टी0 टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की जानी है।

जी0एस0टी0 देयता के भुगतान हेतु लेखा कोड : जी0एस0टी0 अधिनियम के अन्तर्गत उत्पादन निगम में जी0एस0टी0 की देयता किये जाने हेतु कारपोरेट लेखा इकाई द्वारा निम्नलिखित लेखा शीर्ष आवंटित किये गये हैं।

वस्तुओं हेतु (For Goods)

Liability For Payment of CGST on Goods : 46.941

Liability For Payment of SGST on Goods : 46.942

Liability For Payment of IGST on Goods : 46.943

सेवाओं हेतु (For Services)

Liability For Payment of CGST on Goods : 46.944

Liability For Payment of SGST on Goods : 46.945

Liability For Payment of IGST on Goods : 46.946

विविध बिन्दु :-

- CBDT द्वारा जारी किये गये Circular No. 23/2017 दिनांक 19.07.2017 के अनुसार आयकर के प्रावधानों के अनुसार टी0डी0एस0 की कटौती की जायेगी परन्तु उसमें जी0एस0टी0 की धनराशि जोड़ कर कटौती नहीं की जायेगी। (उक्त Circular की छायाप्रति Annexure E संलग्न है)
- मिश्रित एवं समग्र आपूर्ति (Mixed & Composite Supply) :-
मिश्रित एवं समग्र आपूर्ति पर विस्तृत जानकारी उदाहरण सहित Annexure F में संलग्न है।
- इकाईयों/खण्ड एवं कार्यालयों के लिए यह उचित होगा कि निगम का जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन नं0 09AAACU4749D2Z9 निगम के Letter Head पर उल्लिखित किया जायें।

जी0एस0टी0 से सम्बन्धित किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु कर सलाहकार मेसर्स सागर त्रिपाठी एण्ड एसोसिएट्स एवं जी0एस0टी0 सैल मुख्यालय के अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है जिनके दूरभाष नं0, ई0मेल0 आई0डी0 निम्नलिखित हैं :

M/s Sagar Tripathi & Associates	casagartripathi@gmail.com
GST Cell Head Office	sao.fianace@uprvunl.org cm.cmu@uprvunl.org

मुख्यालय स्थित जी0एस0टी0 सैल द्वारा निर्गत किये जाने वाले समस्त दिशा-निर्देश निगम की वेबसाइट (www.uprvunl.org) पर उपलब्ध कराये जायेंगे।


संलग्नक:- यथोपरोक्त

(एस0के0 बाजपेई)
उप महाप्रबन्धक(लेखा)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. महाप्रबन्धक (प्रशासन) तापीय परियोजना अनपरा / ओबरा / पनकी / पारीछा / हरदुआगंज।
2. महाप्रबन्धक (प्रशासन) मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।
उपरोक्त जी०एस०टी० दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित इकाईयों को अपने स्तर से निर्देशित करना चाहें।
3. उप महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), अनपरा तापीय परियोजना, अनपरा।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी, अनपरा 'अ' / 'ब' / 'द' तापीय परियोजना, अनपरा।
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी, ओबरा 'अ' तापीय परियोजना, ओबरा।
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी, ओबरा 'ब' तापीय परियोजना, ओबरा।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी, पनकी तापीय परियोजना, पनकी, कानपुर।
8. वरिष्ठ लेखाधिकारी, पारीछा / पारीछा विस्तार तापीय परियोजना, पारीछा, झांसी।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी, हरदुआगंज / हरदुआगंज विस्तार तापीय परियोजना, हरदुआगंज, कासिमपुर।
10. सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उनिलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. ✓ मुख्य अभियन्ता (प्रगति), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नक:—यथोपरोक्त


(एस०के० बाजपेई)
उप महाप्रबन्धक(लेखा)

Annexure C

(NAME OF COMPANY)								
(ADDRESS OF UNIT)								
Company Logo		Tel: GSTIN:						
Payment Voucher								
Voucher Number:				Details Of Supplier				
Voucher Date:				Name:				
Place of Supply:				Address:				
				GSTIN:				
State:		Code		State:		Code		
Description of Product/Service	HSN Codes	Taxable Value	CGST Rate	CGST Amount	SGST Rate	SGST Amount	Total Amount Paid	
				0		0	0	
				0		0	0	
				0		0	0	
				0		0	0	
Total		0		0		0	0	
Total Amount paid (In words)								
Certified that the particulars given above are true and correct For (Name of Company) Authorised Signatory				Common Seal		Total Amount before tax		0
						Add: CGST		0
						Add: SGST		0
						Total Tax Amount (GST)		0
						Total Amount After Tax		0

Annexure - D

FORM GSTR-3B

[See rule 61(5)]

Year	
Month	

1.	GSTIN	
2.	Legal name of the registered person	Auto Populated

3.1 Details of Outward Supplies and inward supplies liable to reverse charge

Nature of Supplies	Total Taxable value	Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	Cess
1	2	3	4	5	6
(a) Outward taxable supplies (other than zero rated, nil rated and exempted)					
(b) Outward taxable supplies (zero rated)					
(c) Other outward supplies (Nil rated, exempted)					
(d) Inward supplies (liable to reverse charge)					
(e) Non-GST outward supplies					

3.2 Of the supplies shown in 3.1 (a) above, details of inter-State supplies made to unregistered persons, composition taxable persons and UIN holders

Place of Supply (State/UT)	Total Taxable value	Amount of Integrated Tax
1	2	3
Supplies made to Unregistered Persons		
Supplies made to Composition Taxable Persons		
Supplies made to UIN holders		

4. Eligible ITC

Details	Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	Cess
1	2	3	4	5
(A) ITC Available (whether in full or part)				
(1) Import of goods				
(2) Import of services				
(3) Inward supplies liable to reverse charge (other than 1 & 2 above)				
(4) Inward supplies from ISD				
(5) All other ITC				
(B) ITC Reversed				
(1) As per rules 42 & 43 of CGST Rules				
(2) Others				
(C) Net ITC Available (A) - (B)				
(D) Ineligible ITC				
(1) As per section 17(5)				
(2) Others				

5. Values of exempt, nil-rated and non-GST inward supplies

Nature of supplies	Inter-State supplies	Intra-State supplies
1	2	3

280

From a supplier under composition scheme, Exempt and Nil rated supply		
Non GST supply		

6.1 Payment of tax

Description	Tax payable	Paid through ITC				Tax paid TDS/TCS	Tax/Cess paid in cash	Interest	Late Fee
		Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	Cess				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Integrated Tax									
Central Tax									
State/UT Tax									
Cess									

6.2 TDS/TCS Credit

Details	Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax
1	2	3	4
TDS			
TCS			

Verification (by Authorised signatory)

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed there from.

Instructions:

- 1) Value of Taxable Supplies = Value of invoices + value of Debit Notes – value of credit notes + value of advances received for which invoices have not been issued in the same month – value of advances adjusted against invoices
- 2) Details of advances as well as adjustment of same against invoices to be adjusted and not shown separately
- 3) Amendment in any details to be adjusted and not shown separately.

TAX INVOICE, ~~CREDIT AND DEBIT NOTES~~

1. GST Tax invoice format rules

Subject to rule 7, a tax invoice referred to in section 31 shall be issued by the registered person containing the following particulars:-

- (a) name, address and GSTIN of the supplier;
- (b) a consecutive serial number not exceeding sixteen characters, in one or multiple series, containing alphabets or numerals or special characters hyphen or dash and slash symbolised as "-" and "/" respectively, and any combination thereof, unique for a financial year;
- (c) date of its issue;
- (d) name, address and GSTIN or UIN, if registered, of the recipient;
- (e) name and address of the recipient and the address of delivery, along with the name of State and its code, if such recipient is un-registered and where the value of taxable supply is fifty thousand rupees or more;
- (f) HSN code of goods or Accounting Code of services;
- (g) description of goods or services;
- (h) quantity in case of goods and unit or Unique Quantity Code thereof;
- (i) total value of supply of goods or services or both;
- (j) taxable value of supply of goods or services or both taking into account discount or abatement, if any;
- (k) rate of tax (central tax, State tax, integrated tax, Union territory tax or cess);
- (l) amount of tax charged in respect of taxable goods or services (central tax, State tax, integrated tax, Union territory tax or cess);
- (m) place of supply along with the name of State, in case of a supply in the course of inter-State trade or commerce;
- (n) address of delivery where the same is different from the place of supply;
- (o) whether the tax is payable on reverse charge basis; and
- (p) signature or digital signature of the supplier or his authorized representative:

Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council, by notification, specify -

- (i) the number of digits of HSN code for goods or the Accounting Code for services, that a class of registered persons shall be required to mention, for such period as may be specified in the said notification, and
- (ii) the class of registered persons that would not be required to mention the HSN code for goods or the Accounting Code for services, for such period as may be specified in the said notification:

Provided further that where an invoice is required to be issued under clause (f) of sub-section (3) of section 31, it shall bear the signature or digital signature of the recipient or his authorized representative:

Provided also that in case of export of goods or services, the invoice shall carry an endorsement "SUPPLY MEANT FOR EXPORT ON PAYMENT OF INTEGRATED TAX" or "SUPPLY MEANT FOR EXPORT UNDER BOND OR LETTER OF UNDERTAKING WITHOUT PAYMENT OF INTEGRATED TAX", as the case may be, and shall, in lieu of the details specified in clause (e), contain the following details:

- (i) name and address of the recipient;
- (ii) address of delivery; and
- (iii) name of the country of destination:

Provided also that a registered person may not issue a tax invoice in accordance with the provisions of clause

(b) of sub-section (3) of section 31 subject to the following conditions, namely:-

- (a) the recipient is not a registered person; and
- (b) the recipient does not require such invoice, and shall issue a consolidated tax invoice for such supplies at the close of each day in respect of all such supplies.

2. Time limit for issuing tax invoice

The invoice referred to in rule 1, in case of taxable supply of services, shall be issued within a period of thirty days from the date of supply of service:

Provided that where the supplier of services is an insurer or a banking company or a financial institution, including a non-banking financial company, the period within which the invoice or any document in lieu thereof is to be issued shall be forty five days from the date of supply of service:

Provided further that an insurer or a banking company or a financial institution, including a non-banking financial company, or a telecom operator, or any other class of supplier of services as may be notified by the Government on the recommendations of the Council, making taxable supplies of services between distinct persons as specified in section 25, may issue the invoice before or at the time such supplier records the same in his books of account or before the expiry of the quarter during which the supply was made.

3. Manner of issuing invoice

- (1) The invoice shall be prepared in triplicate, in case of supply of goods, in the following manner:-
 - (a) the original copy being marked as ORIGINAL FOR RECIPIENT;
 - (b) the duplicate copy being marked as DUPLICATE FOR TRANSPORTER; and
 - (c) the triplicate copy being marked as TRIPLICATE FOR SUPPLIER.
- (2) The invoice shall be prepared in duplicate, in case of supply of services, in the following manner:-
 - (a) the original copy being marked as ORIGINAL FOR RECIPIENT; and
 - (b) the duplicate copy being marked as DUPLICATE FOR SUPPLIER.
- (3) The serial number of invoices issued during a tax period shall be furnished electronically through the Common Portal in FORM GSTR-1.

4. Bill of supply

~~A bill of supply referred to in clause (c) of sub-section (3) of section 31 shall be issued by the supplier containing the following details:-~~

A

Add

(Name of Company) (Address of Unit)	
Company Logo	Tel: GSTIN:
Credit Note	
Document No:	Against invoice:
Date of issue:	Date of Invoice:
State: Code	
Bill to Party	Ship to Party
Name:	Name:
Address:	Address:
GSTIN:	GSTIN:
State: Code	State: Code
Total	
Total amount in words	
Total Amount before Tax	
Add: CGST	
Add: SGST	
Total Tax Amount	
Total Amount after Tax:	
Certified that the particulars given above are true and correct	
For (Name of Company)	
Authorized signatory	
Common Seal	
Bank Details	
Bank A/C:	
Bank IFSC:	
Terms & conditions	

add

(Name of Company) (Address of Unit)	
Company Logo	Tel: GSTIN:
Debit Note	
Document No:	Against Invoice:
Date of issue:	Date of Invoice:
State: <input type="text"/> Code <input type="text"/>	
Bill to Party	Ship to Party
Name:	Name:
Address:	Address:
GSTIN:	GSTIN:
State: <input type="text"/> Code <input type="text"/>	State: <input type="text"/> Code <input type="text"/>
Total	
Total amount in words	
Total Amount before Tax	
Add: CGST	
Add: SGST	
Total Tax Amount	
Total Amount after Tax:	
Bank Details	Certified that the particulars given above are true and correct
Bank A/C:	For (Name of Company)
Bank IFSC:	
Terms & conditions	
Common Seal	Authorised signatory

Handwritten mark

(Name of Company)									
(Address of Unit)									
Company Logo		Tel: GSTIN:							
Receipt Voucher									
Voucher Number:					Details Of Receiver				
Voucher Date:					Name:				
Place of Supply:					Address:				
Reverse Charge (Y/N):					GSTIN:				
State:			Code		State:			Code	
Description of Product/Service	HSN Codes	Taxable Value	IGST		CGST		SGST		Total Advance Received
			Rate	Amount	Rate	Amount	Rate	Amount	
Total									
Total Advance Received (In words)									
<small>Certified that the particulars given above are true and correct.</small> For (Name of Company)			Common Seal		Total Amount before tax				
Authorised Signatory					Add: CGST				
					Add: SGST				
					Total Tax Amount (GST)				
					Total Amount After Tax				
Authorised Signatory			GST on Reverse Charge						

Add

(Name of Company) (Address of Unit)									
Company Logo		Tel: _____							
		GSTIN: _____							
Refund Voucher									
Voucher Number: _____						Details Of Receiver			
Voucher Date: _____						Name: _____			
Against Receipt Voucher No: _____						Address: _____			
Date of Receipt Voucher: _____									
Reverse Charge (Y/N): _____						GSTIN: _____			
State: _____			Code: _____			State: _____			Code: _____
Description of Product/Service	HSN Codes	Taxable Value	IGST		CGST		SGST		Total Amount Refunded
			Rate	Amount	Rate	Amount	Rate	Amount	
Total									
Total Amount Refunded (In words)									
<small>Certificate that the particulars given above are true and correct.</small> For (Name of Company)						Total Amount before tax			
_____ Authorised Signatory						Add: CGST			
						Add: SGST			
						Total Tax Amount (GST)			
						Total Amount After Tax			
						GST on Reverse Charge			
Common Seal									

add

Company Logo	(NAME OF COMPANY) (ADDRESS OF UNIT)
	Tel: GSTIN:
Self Invoice (Purchase Voucher)	
Voucher No:	Transport Mode:
Voucher date:	Vehicle number:
Reverse Charge (Y/N):	Date of Supply:
State: Code	Place of Supply
Bill to Party	
Ship to Party	
Name:	Name:
Address:	Address:
GSTIN:	GSTIN:
State: Code	State:
Total	
Total amount in words	
Certified that the particulars given above are true and correct For (Name of Company) Authorised signatory	Total Amount before Tax Add: CGST Add: SGST Total Tax Amount Total Amount after Tax: GST on Reverse Charge

(NAME OF COMPANY)																																																																											
(ADDRESS OF UNIT)																																																																											
Company Logo			Tel: GSTIN:																																																																								
Payment Voucher																																																																											
Voucher Number:					Details Of Supplier																																																																						
Voucher Date:					Name:																																																																						
Place of Supply:					Address:																																																																						
					GSTIN:																																																																						
State:			Code		State:			Code																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Description of Product/Service</th> <th rowspan="2">HSN Codes</th> <th rowspan="2">Taxable Value</th> <th colspan="2">IGST</th> <th colspan="2">CGST</th> <th colspan="2">SGST</th> <th rowspan="2">Total Amount Paid</th> </tr> <tr> <th>Rate</th> <th>Amount</th> <th>Rate</th> <th>Amount</th> <th>Rate</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Total</td> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </tbody> </table>										Description of Product/Service	HSN Codes	Taxable Value	IGST		CGST		SGST		Total Amount Paid	Rate	Amount	Rate	Amount	Rate	Amount																																									Total									
Description of Product/Service	HSN Codes	Taxable Value	IGST		CGST		SGST		Total Amount Paid																																																																		
			Rate	Amount	Rate	Amount	Rate	Amount																																																																			
Total																																																																											
Total Amount paid (In words)																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="5" style="width: 30%; vertical-align: top;"> <small>Certified that the particulars given above are true and correct</small> For (Name of Company) Authorised Signatory </td> <td rowspan="5" style="width: 20%; vertical-align: middle; text-align: center;">Common Seal</td> <td style="width: 50%;">Total Amount before tax</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Add: CGST</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Add: SGST</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total Tax Amount (GST)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total Amount After Tax</td> <td></td> </tr> </table>										<small>Certified that the particulars given above are true and correct</small> For (Name of Company) Authorised Signatory	Common Seal	Total Amount before tax		Add: CGST		Add: SGST		Total Tax Amount (GST)		Total Amount After Tax																																																							
<small>Certified that the particulars given above are true and correct</small> For (Name of Company) Authorised Signatory	Common Seal	Total Amount before tax																																																																									
		Add: CGST																																																																									
		Add: SGST																																																																									
		Total Tax Amount (GST)																																																																									
		Total Amount After Tax																																																																									

feed

CIRCULAR No. 23 / 2017

P. No. 275/59/2012-TT (B)
Government of India/ भारत सरकार
Ministry of Finance/ वित्त मंत्रालय
Department of Revenue/(राजस्व विभाग)
Central Board of Direct Taxes/(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

North Block, New Delhi
19th July, 2017


Subject: Modification of Circular No. 1 of 2014 in view of substitution of Service Tax by Goods and Services Tax (GST).

The Central Board of Direct Taxes (the Board) had earlier issued Circular No. 1/2014 dated 13.01.2014 clarifying that wherever in terms of the agreement or contract between the payer and the payee, the Service Tax component comprised in the amount payable to a resident is indicated separately, tax shall be deducted at source under Chapter XVII-B of the Income-tax Act, 1961 (the Act) on the amount paid or payable without including such Service Tax component.

2. References have been received in the Board seeking clarification as to what treatment would be required to be given to the component of Goods and Services Tax (GST) on services, which has been introduced by the Government with effect from 1st of July, 2017 and into which the erstwhile Service Tax has been subsumed.
3. The matter has been examined. It is noted that the Government has brought in force a new Goods and Services Tax regime with effect from 01.07.2017 replacing, amongst others, the Service Tax which was being charged prior to this date as per the provisions of Finance Act, 1994. Therefore, there is a need to harmonize the contents of Circular No.1/ 2014 of the Board with the new system for taxation of services under the GST regime.
4. In the light of the fact that even under the new GST regime, the rationale of excluding the tax component from the purview of TDS remains valid, the Board hereby clarifies that wherever in terms of the agreement or contract between the payer and the payee, the component of 'GST on services' comprised in the amount payable to a resident is indicated separately, tax shall be deducted at source under Chapter XVII-B of the Act on the amount paid or payable without including such 'GST on services' component. GST for these purposes shall include Integrated Goods and Services Tax, Central Goods and Services Tax, State Goods and Services Tax and Union Territory Goods and Services Tax.

5. For the purposes of this Circular, any reference to 'service tax' in an existing agreement or contract which was entered prior to 01.07.2017 shall be treated as 'GST on services' with respect to the period from 01.07.2017 onward till the expiry of such agreement or contract.

6. Hindi version shall follow.



(Sandeep Singh)

Under Secretary to the Government of India

Tele: 23094182

Email: Sandeep.singh68@nic.in

Copy to:

1. Chairman and all Members of CBDT.
2. All Principal Chief Commissioners and Principal Directors General of Income Tax.
3. Pr. DGIT (Systems) and Pr. DGIT (Admin.).
4. All Joint Secretaries and Commissioners in CBDT.
5. Additional Directors General (TPS-I) and (PR,PP&OL).
6. Commissioner (CPC-TDS).
7. Web Managers of irs.officersonline.gov.in and incometaxindia.gov.in for placing the Circular on the respective portal.
8. Office of Comptroller & Auditor General of India (30 copies).
9. Guard file.

जीएसटी में मिश्रित और समय आपूर्ति को समझना

यदि आप आज बाजार को देखते हैं तो आप कई बार दो या दो से अधिक सामान या माल और सेवाओं का संयोजन देखेंगे जिनकी साथ-साथ आपूर्ति की जाती है। यह निम्न कारणों से हो सकता है:

- विक्री रणनीति - अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए
- वस्तुओं या सेवाओं की प्रकृति या प्रकार, जिसके लिए उन्हें एक साथ बंडल या आपूर्ति की आवश्यकता है। सेवा कर के तहत इस तंत्र को बंडल सेवा कहा जाता है - जो कि सेवाओं की सेवा के अन्य तत्वों के साथ सेवा या सेवाओं का प्रस्तुतीकरण है। संशोधित मॉडल ड्राफ्ट जीएसटी कानून के अंतर्गत दो या अधिक माल या सेवाओं के आपूर्ति या माल और सेवाओं के संयोजन के साथ बंडल किए गए आपूर्ति को विशिष्ट विशेषताओं के साथ वर्गीकृत किया जाता है:
- मिश्रित आपूर्ति
- समय आपूर्ति

मिश्रित आपूर्ति

माल या सेवाओं की दो या अधिक वैयक्तिक या माल और सेवाओं के किसी भी संयोजन की आपूर्ति को एक मूल्य के लिए कर योग्य व्यक्ति द्वारा मिश्रित आपूर्ति कहा जाता है।

मिश्रित आपूर्ति में वस्तुओं और/या सेवाओं का संयोजन प्राकृतिक आवश्यकताओं के कारण बंडल नहीं किया जाता है और उनकी सामान्य व्यापार में व्यक्तिगत तौर पर आपूर्ति की जा सकती है।

मिश्रित आपूर्ति का निर्धारण करना

आइए हम एक उदाहरण के साथ इसे समझें।

एक किट पर विचार करें जिसमें एक टाई, एक घड़ी, एक बटुआ और एक कलम शामिल है जो 4,500 रूपए के लिए है तथा कॉम्बो के रूप में है।

उदाहरण के अनुसार,

- टाई, घड़ी, वॉलेट, और कलम को एक किट के रूप में बंडल किया जाता है
- एक टाई की आपूर्ति स्वाभाविक रूप से अन्य तत्वों (घड़ी, बटुआ, कलम) की आपूर्ति को आवश्यक नहीं बनाता है और इसके विपरीत भी उतना ही सही है।
- प्रथक मूल्य के लिए किट की आपूर्ति की जाती है। इसलिए, इस किट की आपूर्ति मिश्रित आपूर्ति है।

मिश्रित आपूर्ति पर कर दायित्व

माल और सेवाओं के संयोजन में मिश्रित आपूर्ति पर कर दायित्व की गणना के लिए उच्चतम दर के टैक्स को आकर्षित करने वाली वस्तुओं या सेवाओं पर लागू कर की दर पर विचार किया जाएगा।

हम फिर से किट के उदाहरण पर विचार करते हैं।

उत्पाद	टैक्स की दर *
टाई	12%
घड़ी	18%
बटुआ	12%
कलम	5%

* सांकेतिक दरें

इस मामले में घड़ी मिश्रित आपूर्ति में उच्चतम कर की दर को आकर्षित करती है अर्थात् 18%। इसलिए मिश्रित आपूर्ति पर 18% कर लगाया जायेगा।

समग्र आपूर्ति

वस्तुओं और सेवाओं की समग्र आपूर्ति एक कर योग्य व्यक्ति द्वारा प्राप्तकर्ता को की जाती है, और:

- इसमें सामान या सेवाओं की दो या अधिक आपूर्तियां शामिल हैं, या
- सामान्य व्यापार में माल और सेवाओं का संयोजन जिनकी स्वाभाविक रूप से बंडल और आपूर्ति की जाती हैं।

इसका मतलब यह है कि प्राकृतिक जरूरतों के कारण सामान और सेवाएं बंडल किया जा रहा है। वस्तुओं और सेवाओं की समग्र आपूर्ति में तत्व वस्तुओं या सेवाओं के 'प्रमुख आपूर्ति' पर निर्भर तत्व हैं।

मुख्य आपूर्ति क्या है?

वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति में पूर्व-प्रभावी तत्व, जो समग्र आपूर्ति बनाते हैं, मुख्य आपूर्ति हैं। और अन्य निर्भर आपूर्ति, जो समग्र आपूर्ति का हिस्सा बनती हैं, मुख्य आपूर्ति के लिए द्वितीयक होती हैं।

समग्र आपूर्ति का निर्धारण

हम एक उदाहरण के साथ इसे समझते हैं।

मुंबई में एक 5-सितारा होटल 4 दिन/3 रातों का पैकेज नारते के साथ प्रदान करता है। यह सुविधाओं के पैकेज के तौर पर एक समग्र आपूर्ति है और नाश्ता एक होटल के लिए सामान्य व्यापार में प्राकृतिक संयोजन है। इस मामले में होटल आवास प्रमुख आपूर्ति है और नाश्ता होटल के आवास के लिए सहायक है। 2. मुंबई में 5 सितारा होटल नाश्ता और एक दिन मुंबई दर्शन के साथ एक 4 दिन / 3 रातों का पैकेज प्रदान करता है। इस पैकेज में मुंबई दर्शन को शामिल करना होटल में आवास की स्वाभाविक आवश्यकता नहीं है। इसलिए यह समग्र आपूर्ति नहीं कहलाती है। यह मिश्रित आपूर्ति है। 3. बैग के साथ लैपटॉप की बिक्री- यह एक समग्र आपूर्ति है क्योंकि लैपटॉप ले जाने के लिए बैग प्राकृतिक आवश्यकता है। लेकिन अगर ग्राहक पिट्टू बैग जैसे बहुउद्देशीय बैग का विकल्प चुनते हैं तो यह एक समग्र आपूर्ति नहीं है क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से बंडल नहीं है।

समग्र आपूर्ति का कर दायित्व

टैक्स देयता की गणना के उद्देश्य के लिए ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की मुख्य आपूर्ति पर लागू कर की दर समग्र आपूर्ति पर लागू होगी। आइए हम एक ही उदाहरण पर विचार करें,

मुंबई में एक 5 सितारा होटल नाश्ते के साथ 4 दिन / 3 रातों का पैकेज प्रदान करता है। मान लीजिए, होटल के आवास में 18% टैक्स और रेस्टोरेंट सेवा 12% कर आकर्षित करती है।

उदाहरण के अनुसार होटल आवास की प्रमुख आपूर्ति है और संपूर्ण आपूर्ति पर 18% कर आरोपित है।

व्यवसायों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे मिश्रित आपूर्ति और समग्र आपूर्ति की अवधारणाओं के संदर्भ में माल और सेवाओं को तैयार करने के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए आपूर्ति के प्रकार और उनके पुनः आकलन को देखें।